तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील संख्या 10/2008 अनिल कुमार बनाम मोहनसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13.2.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील रैस्पोडेन्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट उपस्थित नहीं और न ही अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट को कई बार बार–बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु न तो अपीलान्ट उपस्थित आये और न ही उनके वकील उपस्थित हुये। पत्रावली का अवलोकन किया गया । दौराने अवलोकन गतादेशिका दिनांक 18.7.2022 की रोशनी में वकील अपीलान्ट श्री पंकज कुमार एडवोकेट द्वारा अपीलान्ट की ओर से कोई हिदायत पैरवी नही के हस्ताक्षर आदेशिका पर पाये गये । न्यायहित में न्यायालय स्तर से अपीलान्ट को नोटिस कमांक 670 दिनांक 25.7.2022 उसके बाद पुनः नोटिस कमांक 947 दिनांक 6.10.2022 भी जारी किये गये है किन्तु दिनांक 18.7.2022 से आज दिनांक तक प्रकरण में न तो अपीलान्ट स्वयं उपस्थित हुये है और न ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा कोई प्रतिनिधि ही उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट का अपनी अपील में इस तरह का लापरवाह रवैया उनकी केस को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है। जबकि यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। आज भी अपीलान्ट को कई बार, बार–बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उनका या उनकी ओर से किसी विधिक प्रतिनिधि का एक लम्बे अर्से से न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होना उनका अपने ही प्रकरण में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को स्पष्ट करता है। जब अपीलान्ट स्वयं अपनी अपील में एक लम्बे अर्से से कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे है तो इस प्रकरण को अब और आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है लिहाजा यह प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी एवं अदम तकमील साथ ही गताज्ञा दिनांक 18.7.2022 की रोशनी में वकील अपीलान्ट श्री पंकज कुमार के अपीलान्ट की ओर से कोई हिदायत नहीं होना अंकित किया है के मध्यनजर यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। संभागीय आयुक्त भरतपुर	